कार्यालय जिला पंचायत कटनी

निविदा सूचना क्रमांक / 8826 / एमडीएम / जि.प. / 2012 कटनी दिनांक 08.02.12

मध्यान्ह भोजन वितरण किये जाने हेतु आफर आमंत्रण की सूचना

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनांतर्गत नगर निगम कटनी क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला / माध्यमिक शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय प्राथमिक शाला एवं मदरसों में पका हुआ मध्यान्ह भोजन छात्रों को संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक / अध्यापक की उपस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2012–13 एवं 2013–14 में वितरण किया जाना है, ऐसे स्कूलों की संख्या वर्तमान में **78** है। वर्तमान में कुल छात्र – छात्राओं की **संख्या 11322** है। छात्रों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। उक्त कार्य हेतु वी.ई.सी. / एस. एम.डी.सी. / नगर पालिका / नेहरू युवा केन्द्र से मान्यता प्राप्त लोकल यूथ क्लब एवं अन्य पंजीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं से दिनांक 22.02.12, समय 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवस में जिला पंचायत कार्यालय मध्यान्ह भोजन शाखा से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक निविदाकर्ता को 10000 रूपये निविदा फार्म शुल्क की राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर मध्यान्ह भोजन शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा बेबसाईट **www.katni.nic.in** से निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है ।

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 21.02.2012 तक, कार्यालयीन समय में रूपये 10000 नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर, इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है, बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी को देय होगा । पूर्ण रूप से भरे हुये, निविदा प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 22.02.2012 को समय 03.00 बजे तक ही स्वीकार होंगे। प्राप्त निविदांओं के तकनीकी प्रपत्र उसी दिन गठित समिति द्वारा समय 04.00 बजे खोली जावेंगी, तकनीकी प्रपत्र निविदा शर्तो के अनुरूप सहीं पाई जाने पर, वित्तीय प्रपत्र दिनांक 25.02.2012 को समय 12.00 बजे खोले जावेगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कटनी

पृ.निविदा सूचना क्रमांक / / एमडीएम / जि.प. / 2012 कटनी दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी), जिला कटनी की ओर, जिले की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
3. मीडिया अधिकारी, जिला पंचायत कटनी की ओर कम से कम 02 प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र तथा 01 राष्ट्रीय समाचार पत्रे में प्रकाशन हेतु अगेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कटनी

E:\NIC.doc

निविदा की शर्ते निम्नानुसार होंगी :–

1 वी.ई.सी. / एस.एम.डी.सी. / नगर पालिका / नेहरू युवा केन्द्र से मान्यता प्राप्त लोकल यूथ क्लब एवं पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के ऑफर स्वीकार किए जाएंगे।

2 पब्लिक प्रायवेट पाटर्नशीप (पी.पी.पी.) मॉडल के तहत आने वाली ख्यातिलब्ध संस्थाएं जो इस कार्य में रूचि रखती हो, धार्मिक जनसेवी संस्था जिनका कार्यक्षेत्र न्यूनतम 02 राज्यों तक विस्तारित हो, उच्च स्तर के कॉर्पोरेट, ट्रस्ट के आवेदन भी स्वीकार किए जावेंगे ।

3 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव में व्यवस्थापक / गवर्निंग बॉडी की क्षमता एवं कार्यो का स्पष्ट उलल्ेख किया जावे।

4 स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संस्था की स्थापना, व्यवस्था में कार्य करने वाले उन सभी कार्यालयों / विभागों के नाम एवं उनकी भूमिका व उत्तरदायित्वों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

5 संस्था के पास आवश्यक मशीनरी पर्याप्त मात्रा तथा पर्याप्त क्षमता की उपलब्ध होना अनिवार्य है। मशीने जो Standard Specification की हो । मशीनों की पर्याप्त Self life हो तथा 05 वर्ष से ज्यादा पुरानी न हो ।

6 संस्था को शहरी क्षेत्र की प्राथमिक /माध्यमिक शालाओं में केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित करने की अनुमति ही प्रदान की जावेगी ।

7 परिवहन, पैकेजिंग के लिए प्रमाणित मशीने तथा पर्याप्त संसाधन के साथ – साथ फूड क्वालिटी चेक करने के लिये विशेषज्ञ कर्मचारी उपलब्ध हो।

8 संस्था द्वारा पूर्व के पांच वर्षो का ऑडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9 संस्था को कम से कम 200 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन पकाकर वितरण करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्था होने पर रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी / कलेक्टर के द्वारा तथा शासकीय संस्था होने पर संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी किय गया हो । आवश्यक होने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराया जावेगा। सत्यापन में होने वाला व्यय संस्था वहन करेगी।

10 अमानत राशि 5.00 लाख रूपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी के नाम से देय होगी। जो कि अमानत लिफाफे पर रखी जावे।

11 निविदा की समयावधि आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम दो माह के लिए एक बार में बढाई जा सकती है।

12 शासन द्वारा निर्धारित भोजन मेन्यू अनुसार दर 2.89 रूपये प्रति छात्र प्रतिदिन प्राथमिक शाला तथा राशि 4.33 रूपये प्रतिदिन प्रति छात्र माध्यमिक शाला का भुगतान निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध गुणवत्ता संतोषप्रद होने पर न्यूनतम दर मान्य की जावेगी।

13 स्वीकृत ऑफरकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित जिला पंचायत/नगर निगम, कटनी द्वारा बताये गये स्थान से गेहूॅ उठाकर लाना होगा, तथा उसकी सफाई करके उच्च गुणवत्ता के साथ पकाकर देना होगा।

14 छात्रों को मध्यान्ह पका भोजन माह के स्कूल दिवसों में निर्धारित मेन्यू अनुसार देना होगा, वितरण करने का समस्त व्यय ऑफरकर्ता को देना होगा। भोजन स्कूल में सुबह 7.00 बजे से 2.00 बजे की अलग–अलग सिफ्ट में देना होगा।

15 मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए शासन द्वारा अथवा जिला पंचायत के अधिकृत अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना अनिवार्य होगा।

16 मध्यान्ह भोजन वितरण किए जाने पर भुगतान के समय स्कूल के प्रधानाध्यापक / अध्यापक के हस्ताक्षर की रसीद प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

17 ऑफर स्वीकृति उपरांत रूपये 100 के नॉन जुडिस्यिल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

18. शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा निर्देशों अथवा जिला पंचायत कटनी के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19 ऑफर के साथ संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बायलॉज एवं प्रपत्र –1 में दर्शित जॉनकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20 उपरोक्त सभी शर्तो मे किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

21 भोजन प्रदाय किए जाने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अप्रिय स्थति उत्पन्न होने पर संपूर्ण जबाबदारी निविदादाता की होगी।

22 विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय अध्यक्ष / कलेक्टर का होगा।

23 न्याय क्षेत्र कटनी होगा।

विशेष – ***कुल लिफाफे चार तैयार करना होगा, जिसमें प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र 1,2,3 से संबंधित जानकारी, द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा तृतीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र –3, (वित्तीय ऑफर) रखते हुए, उक्त सभी लिफाफे एक बडे चौथे लिफाफे में बंद किए जावे।***

प्रपत्र –1

सामान्य जानकारी :–

1.	ऐजेंसी /फर्म का नाम :	
2.	ऐजेंसी / फर्म का कंस्टीट्यूशन (बॉयलॉज) :	
3.	संस्था का पंजीयन नं. (पंजीयन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
4	स्थायी पता	
5	टेलीफोन नं.	
6	फैक्स	
7	ई–मेल	
8	फर्म का स्थानीय ऑफिस का पता	
9	टेलीफोन नं.	
10	फैक्स	
11	ई–मेल	
12	फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व टेलीफोन नं. आदि	
13	फर्म के बारे में विस्तृत जानकारी	
14	वाणिज्य कर का चुकता प्रमाण पत्र	
15	आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं गत तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रतियां	
16	पिछले पांच वर्षो की ऑडिट रिर्पोट अथवा पूंजी उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
17	उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी (सूची)	
18	फर्म के पास प्रस्तावित कार्य हेतु उपलब्ध अमले की विस्तृत जानकारी	
19	प्रस्तावित कार्य हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें। (तीन वर्ष के कार्य अनुभव का विवरण)	

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता

प्रपत्र –2

फर्म / निविदादाता का पूर्व का अनुभव :–

कृपया पिछले तीन वर्षो में इस प्रकार किए गए कार्य का विवरण दें। (प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

फर्म / क्लाईट का नाम	कार्य का विस्तृत विवरण	अनुबंधित लागत	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि	कार्य कितने समय में पूर्ण किया गया।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता

सलंग्न दस्तावेजों की सूची :–

क्रं.	विवरण	पृष्ट संख्या .... से ...... तक

संलग्न – कुल दस्तावेज (   )

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता

प्रपत्र –3

मैं / हम प्रमाणित करता हूँ / करते है कि मेरें द्वारा निविदा पत्र में दी गई जानकारी सत्य है।

मैं / हम अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ, एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने हुए, पूर्ण करेंगे, तथा ऐसा कोई भी कृत्य करेंगे कि जिससे परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे यदि मेंरे द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो मैं अनुबंध अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायीं रहूंगा।

स्थान –

दिनांक –

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम –

पता –

मोबाईल नं.

टेलीफोन नं.

प्रपत्र –4

वित्तीय ऑफर

प्रति,

अध्यक्ष / कलेक्टर

जिला कटनी

विषय :– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला / माध्यमिक शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय माध्यमिक शाला एवं मदर्शा में मध्यान्ह पका भोजन छात्रों को वितरण करने बावत्

संदर्भ : – आपकी निविदा सूचना क्रं. .... दिनांक ....

उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तो के अनुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला / माध्यमिक शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय माध्यमिक शाला एवं मदर्शा में मध्यान्ह पका भोजन छात्रों को वितरण करने हेतु प्रतिछात्र दर रूपये ....(शब्दों में...) प्राथमिक शाला एवं दर रूपये ....(शब्दों में...) प्रति छात्र माध्यमिक शाला हेतु ऑफर करता हूँ, इसमें समस्त प्रकार के व्यय एवं टैक्स सम्मलित हैं।

मैं निविदा प्रपत्र में दिए गए विवरण एवं शर्तो के अनुसार समस्त कार्य संपादित करने हेतु प्रतिबंध रहूंगा।

हस्ताक्षर

निविदाता / ऐजेंसी का नाम / सील